

13.01.23 वकील प्राणी या उपदिष्ट।  
लक्ष्मीलक्ष्मी से अके  
पत्रांक राजस्व/2022/2100 दिनांक  
09.01.2023 से जांच रिपोर्ट प्राप्त  
हुई और गुणमिल पत्रावली की गई।  
बदल काचिपकल प्राणी या हुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध अलेखीय  
दस्तावेजों व दृष्टीगत दस्तावेजों  
की आंच रिपोर्ट का पत्रावली  
आयुक्तक मनन किया गया। आंच  
रिपोर्ट के आयुक्तक से पाया कि  
राज्य रिकार्ड में अंकन पंजीकृत  
विक्रय-पत्र के अंतर्गत हुआ है  
और सही है। जाकीमा अवत १०  
पत्र के अंतर्गत वांछित अंतर्गत  
प्राप्त करने की आधिकारी नहीं  
पाई जाती है। अतः जाकीमा का  
१० पत्र काबिले निरस्त किया और  
अवत होने से दस्तावेज १० पत्र  
निरस्त/स्वार्थ किया जाता है।  
मिलने पूर्व अवत से कम होकर  
वांछित अवत है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी